कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

वन भवन सी ब्लॉक भूतल, तुलसी नगर,लिंक रोड न. 2 भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्र./STSF/WLC/ I/898190/2026 भोपाल, दिनांक 23-03-2026

Advisory no. 01/2025-26

विषय:- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्रतिबंधित वन्यजीव/जीवित प्राणी प्रजातियो की अवैध बिक्री एवं अवैध पालन पर रोक के सम्बन्ध में ।

माह फरवरी 2026 मे एसटीएसएफ एवं स्थानीय अमले के द्वारा की गई कार्यवाही जिसमे 313 जीवित अनुसूची-I प्रजाति के टर्टल की तस्करी करते हुए जप्त किया एवं प्रकरण की अग्रिम विवेचना मे कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए इसमे एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। इस तारतम्य मे यह सूचित किया जाता है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचीबद्ध (Scheduled) वन्यजीवों का शिकार, व्यापार, खरीद-फरोख्त, परिवहन, कब्जा एवं पालन दंडनीय अपराध है। प्राय: ऐसी घटनाये एवं शिकायते प्रकाश में आ रही है कि बाजार में पेट शॉप एवं एक्वेरियम की दुकानों पर अवैध रूप से प्रतिबंधित वन्यजीव कछुए,पक्षी,जीवित प्राणी प्रजाति (अनुसूची-IV में वर्णित विदेशी प्रजाति के वन्यजीव, बिना रजिस्टर्ड वाले) आदि की बिक्री की जा रही है जो पूर्णत: गैर क़ानूनी है एवं वन्यजीवों की प्राकृतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। यह कृत्य सामान्य नागरिको को भी कानून का उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, जिससे आम नागरिक जाने-अनजाने अपराध के भागी बन रहे है ।अत: इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :-

1. <u>दुकानदारों/पालतू पशु–पक्षी विक्रेताओं हेतु निर्देश-</u>

1. किसी भी प्रतिबंधित/अनुसूचीबद्ध जीवित वन्यजीव, पक्षी या उनके अंग/उत्पाद का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है।
2. बिना सक्षम प्राधिकारी (वन विभाग) की वैध अनुमति/लाइसेंस के CITES प्रजाति के वन्यजीव का व्यापार न करें।
3. दुकान/संस्थान में उपलब्ध सभी पशु-पक्षियों के वैध स्रोत एवं दस्तावेज सुरक्षित रखें।
4. प्रतिबंधित प्रजाति के वन्यजीवों का सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या अन्य माध्यम से अवैध बिक्री/प्रचार न करें।
5. अवैध वन्यजीव व्यापार की सूचना तत्काल निकटतम वन विभाग कार्यालय/पुलिस थाने या वन विभाग के **TOLL FREE नंबर- 0755-2524000** पर सूचित करे ।

2. <u>आम नागरिकों/पशु–पक्षी पालन करने वाले व्यक्तियों हेतु निर्देश-</u>

1. प्रतिबंधित वन्यजीव/पक्षियों को घर में पालना, खरीदना या बेचना कानूनन अपराध है।
2. यदि किसी व्यक्ति के पास कोई प्रतिबंधित वन्यजीव है, तो तत्काल निकटतम वन विभाग/पुलिस कार्यालय में सूचित करें।
3. विदेशी प्रजाति के जीव जंतुओ (CITES प्रजाति) को पालते समय कानून में वर्णित प्रक्रिया/नियम तथा विभाग द्वारा जारी दिशा - निर्देशों का पालन करे ।
4. अन्धविश्वास के चलते न तो किसी वन्यजीव को अपने पास रखे ओर न ही उनका /उनके अंगो /अवयवो का किसी भी प्रकार से उपयोग करे ।
5. अवैध वन्यजीव व्यापार की सूचना तत्काल वन विभाग कार्यालय/पुलिस या वन विभाग के **TOLL FREE नंबर- 0755-2524000** पर सूचित करे ।

उपरोक्त वर्णित निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम - 1972 की विभिन्न धाराओ के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसमे 07 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने का

प्रावधान हैं।

अपील:- वन्यजीव संरक्षण एवं जैव विविधता की रक्षा करना हम सभी का मौलिक कर्तव्य है।समस्त पेट शॉप संचालित करने वाले दुकानदारों एवं आम नागरिकों से अपील है कि वन्य जीव संरक्षण में सहयोग करे। मीडिया से भी इस संबंध मे सहयोग हेतु अनुरोध है।

Digitally signed by
Lakshmanan Krishnamoorthy
Date: 23-03-2026 12:03:57

(एल. कृष्णामूर्ति)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्य प्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित ।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं समस्त क्षेत्र संचालक टाइगर रिजर्व की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जन संपर्क आयुक्त,भोपाल मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ़) मप्र, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यजीव) एवं समस्त संभागीय प्रबंधक, वन विकास निगम की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र मे सबंधितों के साथ बैठक आयोजित कर इस संबंध मे जागरूक करने का कष्ट करे।